समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो ,देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नही होगी।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हरर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय–भवन
इन्दौर–452001

क.:संविक/वि.छा.स./दु.स./आर्थि.स–27/2022–23/175 दिनांक 14 SEP 2022

प्रति,

1.विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर।
2.प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिलाइन्दौर/खंडवा/खरगोन/धार/झाबुआ/बडवानी/बुरहानपुर/अलीराजपुर।

विषयः– सत्र 2022–23 में विकलांग छात्र सहायता/छात्र दुर्घटना सहायता, छात्र आर्थिक सहायता के आवेदन बाबद।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत, सत्र 2022–23 में आपके अध्ययनशाला/महाविद्यालय में अध्ययनरत् पात्र छात्र/छात्राओं से संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र/सप्रमाण पत्र जानकारी सहित दिनांक 31–12–2022 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने का कष्ट करें,ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर, समय पर उचित कार्यवाही की जासके। अंतिम दिनांक 31–12–2022 पश्चात भेजे गये आवेदन स्कीकार नहीं होंगे।

नोटः– कृपया निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखें:

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य किया जावेगा।
  निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्र अमान्य किया जावेगा।
- छात्र/छात्राओं को किसी अन्य स्त्रोत से इससे संबंधित आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त संबंधित जानकारी गलत पाएँ जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी आपके महाविद्यालय/अध्ययन शाला की होगी।
- अपूर्ण अथवा वांछित से अधिक आय वाले आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करें।
- उपरोक्त से संबंधित विस्तृत जानकारी अधिष्ठाता,छात्र कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

  अतः आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्रों के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर निर्धारित समय सीमा में भेजे, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य होंगे। (विकलांग/छात्र दुर्घटना/आर्थिक सहायता नियम की प्रति संलग्न हैं।)

संलग्नः–
1 विकलांग छात्र सहायता हेतु आवेदन–पत्र (घोषणा पत्र सहित)।
2. छात्र दुर्घटना सहायता हेतु आवेदन–पत्र (घोषणा पत्र सहित)।
3. आर्थिक सहायता हेतु आवेदन–पत्र (घोषणा पत्र सहित)।

भवदीय,

कुलसचिव

कृपृउ.

विकलांग छात्र सहायता के आवश्यक नियमः

विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्रीय शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा की परिधि में मान्य, विकलांग नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय प्रति वर्ष निम्न कार्यो के लिए सहायता स्वीकृत करता हैं।

1 सत्र में एक बार सहायता (बशर्ते किसी अन्य स्त्रोत से कोई विकलांग आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो)
2 पात्रतानुसार विश्वविद्यालय से विकलांग छात्र सहायता दी जायेगी।
निम्नलिखित छात्र उक्त सहायता के पात्र होंगेः–
3. जो विश्वविद्यालय अध्ययनशाला अथवा महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं।
4. जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय वर्तमान में 1.50,000/–(रू.एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो (सेवा योजक का प्रमाण–पत्र आवश्यक) एवं वर्तमान सत्र 2022–23 का आय प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं।
5. इसी प्रकार विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर,सांस्कृतिक कार्यकम,प्रदर्शनी,नाटक अथवा ऐसे कार्य जो विकलांग छात्रो के लिए शैक्षिक उपयोगी एवं शिक्षाप्रद हो, हेतु आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए प्राचार्य/विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष के माध्यम से निवेदन करना होगा।
6. सहायता धनराशि केवल मांग करने की स्थिति में स्वीकृत की जा सकेगी।

छात्र दुर्घटना सहायता के आवश्यक नियमः

विश्वविद्यालय में वर्ष 1980–81 से छात्र दुर्घटना सहायता कोष स्थापित है इसमें विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं /महाविद्यालययो में नियमित प्रवेश प्राप्त छात्र दुर्घटनावश यदि किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते है तो उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध हैं। विद्यार्थी को नियमित होने के साथ ही पिता/पालक की वार्षिक आय वर्तमान में रू. 1,50,000/– (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो (सेवा योजक का प्रमाण–पत्र आवश्यक) एवं वर्तमान सत्र 2022–23 का आय प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं।

1 सहायता का इच्छुक छात्र किसी दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक रूप से आहत हुआ हों
2 दुर्घटना का संबंध ऐसी मारपीट ,हिंसक आंदोलन अथवा झगडे से न हो, जिसमें आवेदक छात्र स्वयं संबंधित हो ।
3 दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक आघात पहुंचा हो।
4 दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर ।
5 दुर्घटना की पोलिस में रिपोर्ट की गई हो ।

नोटः– अन्य जानकारी के लिए छात्र कल्याण विभाग में अधिष्ठाता से संपर्क कर संपूर्ण विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता हैं।

छात्र आर्थिक सहायता के आवश्यक नियमः

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्र अमान्य किया जावेगा।
- छात्र/छात्राओं को किसी अन्य स्त्रोत से इससे संबंधित आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त संबंधित जानकारी गलत पाएँ जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी आपके महाविद्यालय/अध्ययन शाला की होगी।
- अपूर्ण अथवा वांछित से अधिक आय वाले आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करें।
- पालक यानि पिता की मृत्यु होने पर सहायता की पात्रता होगी तथा पिता की मृत्यु के पश्चात माता की भी मृत्यु होन पर भी सहायता की पात्रता होगी तथा पिता /पालक की वार्षिक आय एक लाख पचास हजार से अधिक होने पर पात्रता नहीं होगीं

अतः आवेदन–पत्र संलग्न प्रपत्रों के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर निर्धारित समय सीमा में भेजें, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य होंगे।

नोटः–छात्र/छात्राओं को अन्यत्र किसी संस्थान या मध्यप्रदेश शासन से किसी भी प्रकार की आर्थिक छात्र सहायता मिलने पर विश्वविद्यालय से आर्थिक सहायता की पात्रता नहीं होगी।

पृष्ठा.क.:संविक/वि.छा.स./दु.स./आर्थि.स–27/2022–23/175 दिनांक 14 SEP 2022

प्रतिलिपिः–01 कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि.,इन्दौर।
02 प्रभारी आई.टी. सेंटर वि.वि. वेब–साईड पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र–कल्याण